राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2424/2016/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम,वृत–करापवंचन,जोधपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स उत्तम एजेन्सीज,
नाना हाऊस,स्टेशन रोड़, जोधपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एम.सी. लूनकर,
अधिकृत अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी,जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 44/आरवेट/जेयूए/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति 689847/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय,प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा दिनांक 03.09.2015 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वीरेन्द्र रोड लाईन्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोकदाम पर जांच के दौरान गुजरात रेड़ लाईन्स (इण्डिया) आगरा की जी.आर.नं. 0562/7675 दिनांक 28.08.2015 द्वारा से जोधपुर के लिये (अधिसूचित माल) लेदर शू नग–24 परिवहनित किया जाना पाया गया। परिवहनित माल के साथ मै0 इन्टरनेशनल प्रा0लि0 आगरा का बिल बुक नं0 8/386 दिनांक 28.08.2015 तथा घोषणा पत्र वेट–47 नं0 4909164 दोहरी प्रतियों में भरा हुआ पाया गया। प्रत्यर्थी फर्म द्वारा राज्य के बाहर से अधिसूचितमाल का परिवहन किये जाने एवं कर निर्धारण वर्ष्ज 2014–15 में रू0 25 लाख से अधिक टर्न ओवर होने से अधिसूचना क्रमांक एफ–16(463)पीटी–I/वेट/टैक्स/सीसीटी/2013/5693 दिनांक 14.05.2015 के अनुसारण में ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट 47 की पालना में नहीं पाया गया। ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र के अभाव में अधिनियम की धारा 76(2)(बी)

लगातार.....2

का उल्लंघन होने से वाद कायमकर जांच अधिकारी ने प्रकरण उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर जोधपुर के आदेश दिनांक 22.09.2015 द्वारा पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत प्रतिउत्तर को अस्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 22.09.2015 द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् माल कीमतन रूपये 2,29,491/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 68,847/– प्रत्यर्थी फर्म के विरूद्ध आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.06.2016 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा लिखित में प्रत्युतर प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रेषक फर्म को पूर्व में वेट–47 नं0 4909164 भेजा गया था, माल के साथ लगाकर भेज दिया गया था। जानकारी नहीं होने के कारण ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र साथ नहीं लगा पाये प्रतिउत्तर के साथ दिनांक 03.09.2015 को ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट–47ए नं0 080915470216 प्रस्तुत कर दिया था। जॉच अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मैनूअली जारी वेट–47 को आद जांच गलत/मिथ्या साबित नहीं किया। माल के दस्तावेज बिल एवं बिल्टी के अलावा ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट–47ए नहीं होने का मुख्य कारण प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में विभाग से प्राप्त मैनूअली घोषणा पत्र वेट–47 प्रेषक के यहा भेज हुए थे, जिनके सभी कॉलमों की पर्ति की जाकर माल के साथ संलग्न किया गया था। प्रत्यर्थी ने विभाग द्वारा जारी विधिसम्मत घोषणा पत्र संलग्न किया गया। सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित राजस्थान राज्य बनाम डी.पी.मेटल (2001) 124 एस.टी.सी.पेज 611, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित केरा टेक इण्डिया बनाम स.वा.क.अ.,भिवाडी (2013)35 टेक्स अपडेट 49 तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित न्यायिक दृष्टान्त स.वा.क.अ. बनाम भोले बाबा मिल्स फूड इण्डिया जोधपुर (2013) 36 टेक्स अपडेट 227 व चम्बल वेली एग्रो प्रा0लि0, धौलपुर बनाम स.वा.क.अ. (2011) 45 टैक्स वर्ल्ड 46 आदि न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रेषक फर्म को पूर्व में वेट–47 नं0 4909164

लगातार.....3

भेजा गया था, माल के साथ लगाकर भेज दिया गया था। जानकारी नहीं होने के कारण ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र साथ नहीं लगा पाये। प्रतिउत्तर के साथ दिनांक 03.09.2015 को ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट–47ए नं0 080915470216 प्रस्तुत कर दिया था। जॉच अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मैनूअली जारी वेट–47 को बाद जांच गलत/मिथ्या साबित नहीं किया। माल के दस्तावेज बिल एवं बिल्टी के अलावा ऑनलाईन जैनरेटेड घोषणा पत्र वेट–47ए नहीं होने का मुख्य कारण प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में विभाग से प्राप्त मैनूअली घोषणा पत्र वेट–47 प्रेषक के यहा भेज हुए थे, जिनके सभी कॉलमों की पूर्ति की जाकर माल के साथ संलग्न किया गया था। प्रत्यर्थी ने विभाग द्वारा जारी विधिसम्मत घोषणा पत्र भी संलग्न किया था। इन सब तथ्यों का नजर अन्दाज कर सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। जांच अधिकारी व सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध होने संदेह था तो दस्तावेज के genuine होने के संबंध में जांच की जानी थी, लेकिन सशक्त अधिकारी ने ऐसा नहीं कर शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने इन समस्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त करने के किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य